बिहार सरकार
वित्त विभाग
बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों का संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।

विज्ञापन सं0–02/अरा0स्था0–01–01/2025– **02** वि0/दिनांक–**24.01.2025**

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 एवं पत्र संख्या–3815, दिनांक–11.03.2016 में निहित प्रावधान के तहत वित्त विभाग, बिहार, पटना में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध तत्काल कुल 150(एक सौ पचास) पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के इच्छुक सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों से निम्नांकित शर्त्तों पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

1. सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (संविदा) के पद पर चयन प्रथम चरण में 01 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।
2. आवेदक की उम्र दिनांक–01.06.2025 को अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिए।
3. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा कभी भी रद्द कर दी जायेगी।
4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना की संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
5. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और ना ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. नियोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। चयन के लिए आदर्श रोस्टर का पालन किया जायेगा, जो बिन्दु 01 से प्रारंभ होगा।
7. उन आवेदकों को इस चयन में प्राथमिकता दी जायेगी, जिनकी नियुक्ति बिहार सचिवालय सेवा के सहायक (सम्प्रति सहायक प्रशाखा पदाधिकारी) पद पर सीधी भर्त्ती अथवा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हुई हो। वित्त विभाग में सेवा दे चुके सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इस चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
8. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि :–
   (क) उनके विरूद्ध निगरानी का कोई मामला नहीं चल रहा है।
   (ख) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
   (ग) कभी किसी मामले में उन्हें दंडित नहीं किया गया है।
   (घ) उनके विरूद्ध कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
9. प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3815, दिनांक–11.03.2016 में निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
10. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित संविदा कर्मियों को वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।

11. विहित आवेदन–पत्र के साथ निम्न अभिलेख/कागजात संलग्न करना आवश्यक होगा :–
(क) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र ,
(ख) उपर्युक्त कंडिका–8 में वर्णित शपथ–पत्र ,
(ग) जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण कोटि हेतु लागू),
(घ) महालेखाकार द्वारा निर्गत पी.पी.ओ. की छायाप्रति,
(ड़) अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो,
(च) अंतिम प्राप्त मूल वेतन से संबंधित कोई साक्ष्य,
(छ) सहायक के पद पर नियुक्ति संबंधी आदेश की प्रति एवं
(ज) वित्त विभाग में पदस्थापन संबंधी आदेश की प्रति (यदि हो)।
(झ) 05 वर्षो की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य–मूल्यांकन प्रतिवेदन।

12. इच्छुक सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अपना पूर्ण विवरण विहित प्रपत्र (संलग्न) में हाथों–हाथ या निबंधित डाक अथवा ई–मेल finsecy-bih@nic.in के माध्यम से दिनांक–12.02.2025 के अपराह्न 5:00 बजे तक वित्त विभाग, पुराना सचिवालय, पटना–15 में जमा करेंगे।

13. संबंधित सूचना वित्त विभाग के वेबसाईट http://www.finance.bih.nic.in/ पर देखी जा सकती है।

14. संविदा आधारित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कुल 150 पदों की आरक्षण कोटिवार रिक्ति निम्नवत् है :–

क्र0	कोटि	पदों की संख्या
1	अनुसूचित जाति	24
2	अनुसूचित जनजाति	02
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	27
4	पिछड़ा वर्ग	18
5	पिछड़े वर्गो की महिलाएँ	04
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15
7	गैर आरक्षित	60
कुल		**150**

15. आरक्षण अधिनियम के अनुरूप महिलाओ को देय क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।

16. यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी एवं औपबंधिक है। वित्त विभाग कभी भी नियोजन संबंधी उक्त कार्रवाई को निरस्त कर सकता है, भले ही नियोजन संबंधी कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई हो।

24/1/2025

(आदित्य कुमार झा)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
वित्त विभाग, पटना।

वित्त विभाग, बिहार, पटना में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (संविदा) के पद पर नियोजन हेतु आवेदन–पत्र

विज्ञापन सं0–02/अरा0स्था0–01–01/2025– **02**

1.	सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नामः– (मोबाईल नं0)	
2.	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम :–	
3.	जन्म तिथि :–	
4.	वर्तमान पता :–	
5.	स्थायी पता :–	
6.	नियुक्ति तिथि :–	
7.	नियुक्ति का स्त्रोत :–	
7.	सेवानिवृत्ति की तिथि :–	
8.	विभाग का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त हुआ है :–	
9.	विभिन्न विभागों में अलग–अलग कार्यानुभव की अवधि :–	
10.	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं?	
11.	क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है? यदि हाँ तो कोटि :–	
12.	क्या आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख संलग्न किया गया है?	

तिथि :..

स्थानः ....

आवेदक का हस्ताक्षर